

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची दिनांक:-26.11.2025

विषय:-केन्द्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के चाईबासा जिला में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 शय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए चाईबासा में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना हेतु राज्यांश मद में कुल 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं०- 1927 एवं 1929 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 172 (6) ब दि० 25.01.19 एवं शुद्धि पत्र सं०-27(9)ब दिनांक-13.06.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अन्तर्गत राज्य के चाईबासा जिला में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 शय्यावाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए चाईबासा में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना हेतु राज्यांश मद में कुल 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपए की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह चालू योजना है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे जो राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियों में करेंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. योजना में किसी प्रकार की बढ़ोतरी के मामले में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक 1269, दिनांक-21.09.2023 के आलोक में निर्णय लिया जाएगा।

5. इस आवंटित राशि के व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष -4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-45-मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पताले- आधारभूत संरचना-01-मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मैटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210-01-110-45-01-05-45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6. आवंटित राशि का व्यय सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जायेगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि के संदर्भ में विस्तृत ब्यौरा विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा समय-समय पर समीक्षा कर उपयोगिता की सार्थकता सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि से संबंधित डी०सी० विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

१७(१)ब
२६/११/२०२५

8. इस योजना के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में अबतक आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्रांश मद			राज्यांश मद		
क्र०	आवंटनादेश संख्या	राशि	क्र०	आवंटनादेश संख्या	राशि
1.	17(5)ब/31.01.19	50,00,00,000	1.	17(5)ब/31.01.19	20,00,00,000
2.	05(5)ब/26.06.19	52,59,00,000	2.	05(5)ब/26.06.19	28,96,28,000
3.	19(5)ब/18.11.19	25,00,00,000	3.	31(5)ब/16.03.21	14,44,00,000
4.	32(5)ब/16.03.21	22,41,00,000	4.	29(9)ब/13.06.25	50,00,00,000
कुल		1,50,00,00,000	5.	85(9)ब/13.10.25	20,00,00,000
			कुल		133,40,28,000

9. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना भवन निर्माण निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561, दि० 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

11. मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं निविदा प्रगति इत्यादि निर्धारित प्रपत्र जो विभागीय पत्रांक-112(HS) दिनांक 07.09.11 द्वारा निर्गत है, के आलोक में समर्पित की जायगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय भारत सरकार, महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करेंगे।

13. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे। संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

14. कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से विभाग द्वारा चयनित Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रूप से कार्य एजेन्सी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

विश्वासभजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:-09/बजट-11-34/2022..... 97(9)ब राँची, दिनांक- 26.11.2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य चि०शि० एवं प०क० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

97(9)ब
26/11/2025



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

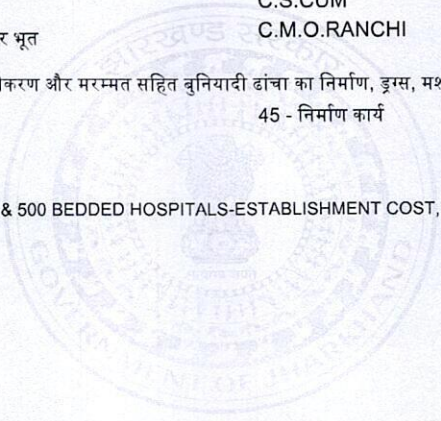
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 9/B-11-34/2022/97(9)B

दिनांक - 27-Nov-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111045010545	74429	RNCMED013	100,000,000.00
	4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं		PRABHAT KUMAR	रुपये दस करोड
	110 - अस्पताल तथा औपधालय		C.S.CUM	
	45 - मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पताल - आधार भूत संरचना		C.M.O.RANCHI	
	01-मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मेडिकल आपूर्ति आदि की खरीद।		45 - निर्माण कार्य	
	State Scheme			

State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674)
Central Scheme : NA



योग: रुपये दस करोड

100,000,000.00

क्रमिक योग:

(AJAY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

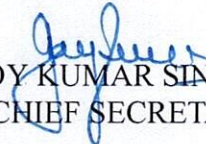
वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पताले - आधार भूत संरचना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111045010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹10,00,00,000.00 (74429)	₹10,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹10,00,00,000.00 (दस करोड) रूपये मात्र ।**टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए**


 (AJOY KUMAR SINGH)
 ADDITIONAL CHIEF SECRETARY